उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 203 / 2023–24 दिनांक : 26.10.2023

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र कुकरेती
(न्यायिक सदस्य)

श्री नवीन चन्द्र तिवारी
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री हरीश चन्द्रा पुत्र श्री ईश्वर दास, परिवादी
अनाज मण्डी, गदरपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादी श्री हरीश चन्द्रा पुत्र श्री ईश्वर दास का एक शिकायती पत्र दिनांक 12.10.2023 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU6C304086239 (01 किलोवाट व्यवसायिक) का विद्युत बिल दिनांक 13.08.2023 को टी0डी0एस0 कर्मचारी द्वारा गलत रीडिंग 22342 केडब्लूएच दर्ज करते हुए बनाया गया है जबकि उनके परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर का वास्तविक पाठयांक 11995 केडब्लूएच है। इसकी शिकायत विभाग में भी की गयी, परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर लगे विद्युत मीटर के वास्तविक पाठयांक के आधार पर विद्युत बिल (रू0 5255.00) को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 12.10.2023 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 21.10.2023 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 26.10.2023 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 26.10.2023 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री नसीम अहमद, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

क्रमशः 2.....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता ने अपने पत्र संख्या—1918 दिनांक 26.10.2023 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के विद्युत बिल में टी0डी0एस0 मीटर रीडर द्वारा माह 08 / 2023 में गलत रीडिंग 22342 भेजे जाने के कारण परिवादी का विद्युत बिल गलत बन गया था। वर्तमान में परिवादी के मीटर में अंकित रीडिंग 11999 केडब्लूएच के आधार पर उनका बिल संशोधित कर रू0 3282.00 का बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल एवं कंज्यूमर बिलिंग की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

26/10/2023	26/10/2023	
(रमेश चन्द्र कुकरेती)	(नवीन चन्द्र तिवारी)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य